फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में एयू फायनेंसियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 (राज.) में स्थित होकर कार्यरत है, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अंकित भूतडा पुत्र श्री कमल भूतडा, एयू स्माल फयनेंस बैंक लिमिटेड, उदयपुर।
–प्रार्थी

बनाम

1. श्री डालचन्द बलाई पिता श्री बद्रीलाल जी बलाई, निवासी 20, चाकड़ी दायां भाग, खटीक मोहल्ला, रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
बन्धक सम्पत्तिः– श्री डालचन्द बलाई
ग्राम पंचायत, चौकड़ी में स्थित वाणिज्यिक भूखण्ड, चौकड़ी पंचायत समिति रेलमगरा,जिला राजसमन्द(राज.) **–ऋणी एवं बन्धककर्ता**
2. श्रीमती रेशमा बलाई पत्नी श्री डालचन्द बलाई, निवासी 20, चाकड़ी दायां भाग, खटीक मोहल्ला, रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) **–सहऋणी**
3. श्री माधव लाल पिता श्री उदयराम, निवासी 296 नाहरसिंह मां चौक, चौकड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) **–जमानती**

– विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 76/2019**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.12.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 29.11.19 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक को भारत के राजपत्र मे दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 18.09.2017 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरी अनुसूची मे बैंक के रूप मे शामिल किया गया। इसे पूर्व में एयू फायनेंसियर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 09/02/2016 को 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया था एवं विपक्षी संख्या 3 ने विपक्षी संख्या 1 एवं 2 द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की जमानत दी थी। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्युरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गरवीकृत किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः– बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री डालचन्द	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

बलाई, ग्राम पंचायत, चौकड़ी में स्थित वाणिज्यिक भूखण्ड, चौकड़ी पंचायत समिति रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.) जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 905 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – श्री नाथू लाल का मकान, पश्चिम – आम रास्ता, उत्तर – श्री नाथू लाल का मकान, दक्षिण – श्री गोर्वधन का मकान। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 11.05.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 05.08.2019 को विपक्षीगण के खाते में बकाया 2,95,094/– अक्षरे दो लाख पिच्चियान्वे हजार चौरान्वे रूपये शेष व देय निकलते है व दिनांक 05.08.2019 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2)के अन्तर्गत दिनांक 09.08.2019 का टंकित नोटिस जो दिनांक 21.08.2019 को विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नही किया हैं। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनूसार प्रार्थी कलम संख्या 3 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति कब्जा प्राप्त करनें व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने की अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :–

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receiopt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assetes [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 09.08.2019 को जारी किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांकः 28.08.2019 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। जिसकी प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक/वितिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री डालचन्द बलाई ग्राम पंचायत, चौकड़ी में स्थित वाणिज्यिक भूखण्ड, चौकड़ी पंचायत समिति रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 905 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – श्री नाथू लाल का मकान, पश्चिम – आम रास्ता, उत्तर – श्री नाथू लाल का मकान, दक्षिण – श्री गोर्वधन का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)